सरकारी अधिकारियों के "उत्तम" और "सामान्य" ग्रेड की प्रविष्टियों के बारे में सूचित किया जाना

1485. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रुप 'ए' के 3700/- से 5000 /- रुपये या इससे अधिक वेतनमान में पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट (ए०आ०० आर०) जिसमें वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट भी शामिल होता है पर विचार किया जाता है और अति उत्तम ग्रेड की प्रविष्टियां पाने वाले अधिकारियों को, जिसमें वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त की गई प्रविष्टि भी शामिल है, पदोन्नत किया जाता है, यदि यह तो यह नियम कब से लागू है और इस संबंध में इससे पूर्व कौन सा नियम था ;

(ख) क्या गोपनीय रिपोर्टों में "उत्तम" और "सामान्य" ग्रेड की प्रविष्टियां पाने वाले अधिकारियों को पदोन्नति से पूर्व इस बारे सूचना में दी जाती है; यदि नहीं तो उनका ध्यान इस ओर और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक मौका दिए बिना पदोन्नति से वंचित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की प्रविष्टियों के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के नियम को लागू करेगी ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) 10-3-89 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार केवल "अति उत्तम" (जेरो हुड) तथा उससे ऊपर के ग्रेड के बेंचमार्क लेने वाले अधिकारी ही 3700-500 रु० तथा उससे अधिक स्तर के चयन पदों में पदोन्नति के पात्र होते हैं और इसके साथ ही, आगे यह भी शर्त है कि "उत्कृष्ट" (आउटस्टैंडिंग) ग्रेड वाले अधिकारी उन अधिकारियों का अधिक्रमण कर सकेंगे जिन्हें अति उत्तम ग्रेड मिला है। यह ग्रेडिंग विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संबंधित अधिकारियों के गत पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विशेष संदर्भ में और साथ ही, उन मामलों में जहां पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा पांच वर्ष से अधिक हो तो वहां संबंधित अधिकारियों की, अर्हक सेवा के बराबर के वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विशेष संदर्भ में उनके सेवा रिकार्ड का एक समग्र मूल्यांकन करने के बाद दी जानी होती है।

ये निदेश 1-4-89 से प्रभावी हैं। 1-4-89 से पहले के वे अधिकारी जिन्होंने "उत्तम" ग्रेड की प्रविष्टियां पाई थी वे भी "अति उत्तम" तथा "उत्कृष्ट !" प्रविष्ट वालों के बाद उसी क्रम में चयन सूची शामिल किए जाने के पात्र होते थे।

(ख) और (ग) अलग-अलग वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दी गई "उत्तम" तथा "सामान्य" प्रविष्टियों को ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टियां नहीं माना जाता है कि जिनके बारे में सरकारी कर्मचारी को सूचित किया जाये।

इन निर्देशों में यह व्यवस्था है कि विभागीय पदोन्नति समिति मात्र ऐसी किसी समग्र ग्रेडिंग यदि कोई हो के आधार पर निर्णय नहीं लेगी जिसे वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में रिकार्ड किया गया है परन्तु उसे वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की प्रविष्टियों के आधार पर स्वयं ही इसका मूल्यांकन करना चाहिए। "अति उत्तम" अथवा उससे ऊपर के बैंच मार्क पर आधारित पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दी गई ग्रेडिंग के अनुसार किया जाये।

एक नियोक्ता तथा नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से सरकार को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वह सभी स्तरों पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारिक के बारे में अपेक्षित क्षमता-स्तर निश्चित करे। कर्मचारी का यह दावा करने का अधिकार नहीं बनता है कि वह पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित स्तरों के आधार पर अपनी उपयुक्तता सिद्धि के प्रश्न पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।